फा.सं.आई-11011/02/2019-एनएमआरएफ

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र

(रा.म.अ.मौ.पू.कें.)

ए-50, सेक्टर 62,

नोएडा, उत्तर प्रदेश

दिनांक:-१४ जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी प्रगति देखी गई है, फिर भी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कार्यालय का राजभाषा से संबंधित निरीक्षण दिनांक 12.10.2017 के निरीक्षण के दौरान भी रेखांकित किया गया था तथा हिंदी के काम-काज में अनियमिताएं पाई गई हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया गया है। राजभाषा निरीक्षणों के दौरान सामान्यत: निम्न प्रकार की अनियमिताएं देखी जाती हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है:-

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन न किया जाना।

सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित कागजात जैसे सामान्य आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, टेंडर, विज्ञापन, ज्ञापन, मंजूरी आदेश, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार, नीतिगत दस्तावेज एक साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में एक साथ जारी किये जाएं। इसकी जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

2. सेवा पुस्तिकाओं और रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में न किया जाना।

सभी नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी रजिस्टरों के शीर्ष द्विभाषी हों और सभी रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

3. पुस्तकालय के लिये निर्धारित बजट का 50 प्रतिशत हिंदी की पुस्तकें खरीदने में व्यय करना।

पुस्तकालयध्यक्ष सुनिश्चित करें कि पुस्तकालय के लिये निर्धारित बजट की राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर किया जाए।

4. विज्ञापन केवल अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में जारी करना।

सभी नियंत्रण अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी विज्ञापन केवल अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में न निकाला जाए बल्कि इसे हिंदी में भी निकाला जाना सुनिश्चित करें।

5. कार्यालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण न होना।

कार्यालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण किया जाना अतिआवश्यक है । इसका दायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होगा।

....2

6. हिंदी पत्राचार का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से कम होना।

सभी अधिकारी/कर्मचारी सुनिश्चित करें कि हिंदी में अधिक से अधिक पत्राचार करें ताकि हिंदी पत्राचार के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सके, जो निम्न प्रकार है:-

'क' क्षेत्र	प्रतिशत	'ख' क्षेत्र	प्रतिशत	'ग' क्षेत्र	प्रतिशत
'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	100	'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	90	'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	55
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	100	'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	90	'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	55
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	65	'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	55	'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	55

7. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के जवाब हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा इनका एक समुचित रिकॉर्ड अपने पास रखा जाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8. कंप्यूटरों पर हिंदी में किए जा रहे कार्य का प्रतिशत

कंप्यूटरों पर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही किया जाए, जो अधिकारी/कर्मचारी कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। नियंत्रण अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो और सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड़ सक्रिय होना चाहिये।

9. नोट-शीट पर हिंदी टिप्पणियां न लिखा जाना

नोट शीट पर अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाए।

तदनुसार रा.म.अ.मौ.पू.कें के सभी अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त निदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही के बारे में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। इस विषय पर में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह कार्यालय ज्ञापन प्रमुख, रा.म.अ.मौ.पू.नोएडा के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

मनोज 13/7

(मनोज गुप्ता)

निदेशक (प्रशा./स्था.), रा.मअ.मौ.पू.कें.

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी (ई मेल व सूचना पट्ट के माध्यम से सूचना)
2. संयुक्त निदेशक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, लोदी रोड़, नई दिल्ली
3. कंप्यूटर प्रभाग, रा.म.अ.मौ.पू.कें (इस ज्ञापन को रा.म.अ.मौ.पू.कें की वेबसाइट पर डालने के निवेदन के साथ)
4. गार्ड फाइल।